



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-सी.जी.-अ.-06082024-256097
CG-CG-E-06082024-256097

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2973]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 5, 2024/ श्रावण 14, 1946

No. 2973]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 5, 2024/ SHRAVANA 14, 1946

रेल मंत्रालय
(एस.ई.सी. रेलवे,)

अधिसूचना

बिलासपुर, 31 जुलाई, 2024

का.आ. 3117(अ).— रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 20 (ई) के तहत जबकि भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) में अधिसूचना संख्या 1620 दिनांक 12.04.2024 रेलवे अधिनियम की 20ए की उप-धारा (1) के तहत भारत के राजपत्र साधारण, भाग- II, खंड 3, उप-खंड (ii), (इसके बाद उक्त अधिसूचना के रूप में संदर्भित) में प्रकाशित, 1989 (1989 का 24) (इसके बाद उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित), केंद्र सरकार ने 9.0 किलोमीटर लंबाई के ईब फ्लाईओवर विशेष रेलवे परियोजना के निर्माण के निष्पादन के लिए उक्त अधिसूचना से जुड़ी अनुसूची में निर्दिष्ट भूमि के अधिग्रहण के अपने इरादे की घोषणा की। ओडिशा के झारसुगुडा जिले में ईब स्टेशन और बृंदामल स्टेशन को जोड़ने वाले रेलवे यातायात के लिए।

और, जबकि उक्त अधिनियम की धारा 20ए की उप धारा (4) के तहत अधिसूचना संख्या 1620 दिनांक 12.04.2024 का सार दैनिक समाचार पत्र, आरूप, भारत दर्शन, न्यू इंडियन एक्सप्रेस और हिरांचल के ओडिया संस्करण में दिनांक 25.06.2024 को प्रकाशित किया गया था। जबकि कोई भी आपत्ति याचिकाएं भूमि खोने वालों से निर्धारित अवधि में प्राप्त नहीं हुई हैं, और जबकि, उक्त अधिनियम की धारा 20ई की उप धारा (1) के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी ने केंद्र सरकार को अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया है। अब, इसलिए, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर, और उक्त अधिनियम की धारा

20ई की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा घोषणा करती है कि अनुसूची में निर्दिष्ट भूमि इसके साथ संलग्न पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अधिग्रहण किया जाएगा; और, उक्त अधिनियम की धारा 20ई की उप धारा (2) के अनुसरण में, केंद्र सरकार एतद्वारा घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होने पर, इसके साथ संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट भूमि पूरी तरह से सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त केंद्रीय सरकार में निहित होगी।

अनुसूची

ओडिशा राज्य में विशेष रेलवे परियोजना, अर्थात् ईब फ्लाईओवर नई रेल लाइन परियोजना (09 किमी) (झारसुगुडा जिले के लिए) के लिए, संरचना के साथ या बिना संरचना के अधिग्रहण की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण:-

जिला: झारसुगुडा

तहसील: झारसुगुडा

ग्राम: झारसुगुडा टाउन यूनिट क्र.5

Khata No.	Plot No.	Area (Acres)
1212/7285	6013/7414	0.58
TOTAL		0.58

जिला: झारसुगुडा

तहसील: झारसुगुडा

ग्राम: बड़मल

Khata No.	Plot No.	Area (Acres)
102	119	0.27
29	121	0.10
TOTAL		0.37

जिला: झारसुगुडा

तहसील: झारसुगुडा

ग्राम: बुंदामाल

Khata No.	Plot No.	Area (Acres)
70	4	0.36
70	5	0.26
70	6 (p)	0.44
70	7 (p)	0.28
TOTAL		1.34

[F.No. DCE/C/BRJN@BSP/IMP-124]

आलोक तिवारी, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS**(S.E.C. Railway)****NOTIFICATION**Bilaspur , 31ST July , 2024

S.O. 3117(E).— Notification under Section 20(E) of the Railways Act, 1989 Whereas by the notification of the Government of India, in the Ministry of Railways (Railway Board) Notification No. 1620 dated 12.04.2024 published in the Gazette of India Ordinary, Part-II, Section 3, sub-section (ii), (hereinafter referred to as the said notification) under sub-section (1) of 20A of the Railway Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for execution of Special Railway Project of construction of IB Flyover of 9.0 KM length for Railway traffic connecting IB station and Brundamal station in Jharsuguda District of Odisha.

And, whereas the substance of notification No.1620 dated 12.04.2024 under sub section (4) of section: 20A of the said Act was published in the daily Newspapers, Aarop, Bharat Darshan, New Indian Express & Hiranchal in Odia Edition on dated 25.06.2024 whereas no objections have been received in the stipulated period from the land losers, and whereas, in pursuance of sub section (1) of section: 20E of the said Act, the Competent Authority has submitted his report to the Central Government. Now, therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority, and in exercise of the powers conferred by sub section (1) of the section: 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose; and, further in pursuance of sub section (2) of section: 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the official Gazette, the land specified in the schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all Encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, for the Special Railway project, namely, IB Flyover new Rail Line Project (09km) (for Jharsuguda District) in the State of Odisha.

Name of District: Jharsuguda

Name of Tahsil: Jharsuguda

Village: Jharsuguda Town Unit No. 5

Khata No.	Plot No.	Area (Acres)
1212/7285	6013/7414	0.58
TOTAL		0.58

Name of District: Jharsuguda

Name of Tahsil: Jharsuguda

Village: Badmal

Khata No.	Plot No.	Area (Acres)
102	119	0.27
29	121	0.10
TOTAL		0.37

Name of District: Jharsuguda

Name of Tahsil: Jharsuguda

Village: Brundamal

Khata No.	Plot No.	Area (Acres)
70	4	0.36
70	5	0.26
70	6 (p)	0.44
70	7 (p)	0.28
TOTAL		1.34

[F. No.DCE/C/BRJN@BSP/IMP-124]

ALOK TIWARI ,Chief Administrative Officer (Cons.)